न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या : 08/2022
दायर दिनाकं : 09.03.2022
निर्णय दिनांक : 06.06.2022

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र हरिकिशन
2. मुकेश कुमार पुत्र हरिकिशन
3. शम्भू दयाल पुत्र हरिकिशन
4. सुरेश कुमार पुत्र हरिकिशन

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बैरावास तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. उप तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 682/3 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 683/3 रकबा 0.02 है0 भूमि वाके ग्राम बैरावास तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जाना अवगत कराया है तथा उक्त भूमि की पत्थरगढी करने का अनुरोध किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से तहसीलदार दौसा ने जवाब दिनांक 14.05.2022 को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना–पत्र में अंकित ग्राम बैरावास खसरा नम्बर प्रार्थीगण बाबूलाल, मुकेश, सुरेश कुमार पुत्र हरिकिशन जाति ब्राह्मण हिस्सा 3/4 राहिन RMGB शाखा कालाखो शम्भू दयाल पुत्र हरिकिशन हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि खाली है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अनुसार पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 682/3 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 683/3 रकबा 0.02 है0 भूमि वाके ग्राम बैरावास तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरी0 की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 682/3 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 683/3 रकबा 0.02 है0 के समीपवर्ती काश्तकारों को लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)